

प्रेषक,

पी0एन0 यादव,  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त उपाध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2013

विषय: उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभागों की अधिकाधिक सेवाओं को आच्छादित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग के पत्रांक 287/91-2013 दिनांक 29.08.2013 के साथ संलग्नक-1 पृष्ठ-5 की संलग्न प्रति का अवलोकन करना चाहें, जिसमें जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित 08 सेवाओं जिनमें आवेदन की तिथि प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के निस्तारण की समय सीमा निम्नवत निर्धारित की गयी है:-

सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
		आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1.	स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण पर निर्णय।	7 days	30 days	15 days
8	(i) आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय:- (अ) Group Housing (ब) एकल भवन	90 days 30 days	30 days 30 days	15 days 30 days
	(ii) गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय	90 days	30 days	15 days
	(iii) सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय।	60 days	30 days	15 days
	(iv) सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय।	15 days	30 days	15 days
	(v) आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय।	10 days	15 days	15 days
	(vi) भवनों के शमन पर निर्णय।	60 days	30 days	15 days
	(vii) भूखण्ड/भवन को फ्री-होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)	15 days	15 days	15 days
	(viii) आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय	7 days	7 days	7 days

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित 08 सेवाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अंकित तालिका में निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,  
( पी0एन0 यादव )  
अनु सचिव।